COURT FEE 2 RS भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

चंद्रिका प्रसाद तनय रामफल ब्रा० निवासी ग्राम अरगट तहसील रामनगर जिला सतना (म०प्र०) .... निगरानी कर्ता

बनाम

1- अंगिरा प्रसाद तनय श्रीपति मिश्रा ।

2- शेष नारायण मिश्रा तनय श्री पति मिश्रा

दोनो निवासी ग्राम अरगट तहसील रामनगर जिला सतना म०प्र० .... गैर निगरानी कर्ता

1483-IV/08

श्री आदित्य सिंह परिहार एडवोकेट द्वारा आज दि० 18-11-08 को प्रस्तुत ।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

18.11.08

निगरानी आवेदन पत्र विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 35/निगरानी/08-09 में पारित आदेश दि० 30.10.2008

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा० संहिता 1959 ई० ।

मान्यवर,

निगरानी कर्ता/आवेदक निम्न विनय करता है :-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि ,न्याय व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2- यह कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष मुस० सुभिया पत्नी स्व० कमला प्रसाद द्वारा निष्पादित कराये गये वसीयत नामा दिनांक 20.11.2000 के आधार पर नामान्तरण आदेश हेतु प्रार्थना आवेदन/निगरानीकर्ता द्वारा चाहा गया था जिसमें न्यायालय तहसीलदार रामनगर जिला सतना ने विचाराधीन प्र० क्र० 16 अ 6/2000-2001 में पारित आदेश दिनांक 28.6.2002 के अनुसार आवेदक के नाम नामान्तरण आदेश स्वीकार किया था । तथा उसी आदेश के तहत आवेदक दर्ज अभिलेख काबिज भूमि स्वामी है।

क्रमशः....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1483–चार/08 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–9 –16	आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदक के अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 35/निगरानी/08–09 में पारित आदेश दिनांक 30.10.08 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में प्रकरण को तहसील न्यायालय की ओर गुण–दोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। चूँकि अनावेदकगण द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 31.05.2000 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विधिवत सुनवाई किये जाने बावत प्रकरण अनुविभगीय अधिकारी ने रिमाण्ड किया था, जो विधिसंगत है । रजिस्टर्ड वसीयतनामा को शून्य घोषित कराने हेतु व्यथित पक्षकार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकते है ।	

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर किया जावे । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य